राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प – नौरंगपुरा

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस..

प्रा0पत्र संख्या– 128/2020

1. नन्दाराम पुत्र श्योनाथराम
2. भगवान सिंह पुत्र श्योनाथराम जाति जाट निवासी सुनारी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.........प्रार्थीगण

ब–ना–म

1. इन्द्राज सिंह पुत्र सांवलराम
2. निर्मला पुत्री ख्यालीराम
3. पताशी पति सांवलराम
4. भानि पत्नी ख्यालीराम
5. मनोज पुत्र ख्यालीराम
6. राजेश पुत्र ख्यालीराम
7. सुमेर सिंह पुत्र सांवलराम जाति जाट निवासी सुनारी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
8. मालराम पुत्र झाबरमल जाति जाट निवासी सुनारी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
9. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, खेतड़ी।

............अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी करवाने

निर्णय **दिनांक : 25–10–2021**

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण ग्राम सुनारी स्थित जमाबंदी संवत् 2073 लगायत 2076 के खाता सं. 133 में दर्ज ख.नं. 362 रकबा 0.50 है. के खातेदार काबिज काश्तकार है। ग्राम सुनारी स्थित जमाबंदी संवत् 2073 लगायत 2076 के खाता सं. 253 में दर्ज ख.नं. 361 रकबा 0.86 है. के अप्रार्थी सं. 1 लगायत 7 खातेदार काश्तकार है एवं ग्राम सुनारी स्थित भूमि खाता सं. 173 में दर्ज ख.नं. 363 रकबा 0.44 है. का अप्रार्थी सं. 8 खातेदार काश्तकार है। अप्रार्थी सं. 1 लगायत 7 की उक्त भूमि ख.नं. 361 प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि ख.नं. 362 के पश्चिम दिशा में सींव जोड़ स्थित है तथा अप्रार्थी सं. 8 की भूमि ख.नं. 363 प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि ख नं. 362 के उत्तर दिशा में सींव जोड़ स्थित है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के खेत ख.नं. 362 की पश्चिमी व उत्तरी सीमा के साथ तोड़ फोड़ [illegible] रहते हैं। इसलिए प्रार्थीगण ने तहसीलदार, खेतड़ी को विवादित [illegible] आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 23.10.2019 को पटवारी [illegible] द्वारा सीमाज्ञान मौके पर उपस्थित मौतबीरान के समक्ष कराया और मौके पर उपस्थित के हस्ताक्षर करवाकर एवं सीमा चिन्ह कायम किये। अप्रार्थी सं. 1 लगायत 8 उक्त सीमाज्ञान को नहीं रहे [illegible] को

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.07.06 14:21:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी (झुन्झुनूं)

Scanned with CamScanner

भूमि ख.नं. 362 की पश्चिमी व उत्तरी सीमा के सीमा चिन्हों को नष्ट कर देते हैं। इसलिये यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण के खेत ख.नं. 362 की पत्थरगढ़ी करवाने हेतु पेश करना आवश्यक हुआ।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम सुनारी तहसील खेतड़ी स्थित भूमि ख.नं. 362 रकबा 0.50 है. की पश्चिमी सीमा जो ख.नं. 361 के साथ लगती है तथा उत्तरी सीमा ख.नं. 363 के साथ लगती है। उक्त खसरा नंबर की सर्वेसीट से नपती करवाकर ख.नं. 362 की पश्चिमी व उत्तरी सीमा पर पुख्ता सीमेन्ट व पत्थर के पिलर लगवाने का आदेश दिया जावे।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस जारी की गई। अप्रार्थीगण बावजूद सम्यक् सूचना के अनुपस्थित रहने पर, इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रार्थीगण की ओर से साक्ष्य अभिलेख में नकल फर्द मौका सीमाज्ञान दिनांक 23.10.2019, जमाबंदी संवत् 2073–2076 खाता सं. 253, खाता सं. 133, खाता सं. 173 ग्राम सुनारी, नक्शा किश्तवार सन् 1979–80 पेश किये।

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प नौरंगपुरा में पेश हुई। प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। ग्राम सुनारी की जमाबंदी संवत् 2073–2076 खाता सं. 133 खसरा नंबर 362 रकबा 0.50 है. प्रार्थीगण की एकांकी खातेदारी में दर्ज रिकार्ड हैं। फर्द मौका सीमाज्ञान दिनांक 23–10–2019 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण ने विवादित भूमि खसरा नंबर 362 का सीमाज्ञान भी विधिवत् रूप से करवाया है तथा प्रार्थीगण पुनः ख.नं. 362 का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं जो विधिसम्मत है।

<u>आदेश</u>

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर तहसीलदार, खेतड़ी को आदेश दिया जाता है कि वह उभय पक्षकारान की उपस्थिति में ग्राम सुनारी स्थित भूमि खसरा नंबर 362 रकबा 0.50 है. भूमि की पुनः नपति कर रू. 400/– की फीस पर पत्थरगढ़ी करवायें तथा पालना रिपोर्ट यथाशीघ्र भिजवायें।

निर्णय आज लोक अदालत कैम्प नौरंगपुरा में दिनांक 25–10–2021 को मजमे आम में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी (झुन्झुनू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.07.06 14:21:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner